JALAUN POLICE

दिनांक- 26.03.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण – वादी बाबूलाल अहिरवार पुत्र किशुनलाल अहिरवार नि0ग्राम नया रामनगर कोतवाली उरई जनपद जालौन के साथ अभियुक्त राजू पुत्र पंचम नि0 ग्राम इन्द्रानगर कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा बेईमानी पूर्वक फर्जी दस्तावेज बनवाकर रुपये हड़प लेना जिसके संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 11.10.2020 को कोत0 उरई पर मु0अ0सं0 749/2020 (वाद संख्या 1511/21) धारा 420/467/468/471 भादवि के तहत पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 11.04.2021 को आरोप पत्र मान0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 26.03.2026 को मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राजू उपरोक्त को दोषी पाते हुये 05 वर्ष का कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।